न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–48/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00028)

1. कमल कॅवर पुत्री स्व. गणपत सिंह व पत्नि श्री जवाहर सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम श्यामपुरा कचौलिया, तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासी जाटों की गली, कडेल, पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र बनेसिंह (मृतक जरिये)
   1/1. चैनकॅवर पत्नी हनुमान सिंह,
   1/2. गोपाल पुत्र हनुमानसिंह,
   1/3. बबलू उर्फ भवानीसिंह पुत्र हनुमान सिंह, जाति राजपूत निवासी कचौलिया तहसील बस्सी जिला जयपुर।
   1/4. मुन्नीकंवर पत्नी उम्मेदसिंह पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी सिनेडया वाया थावला, तहसील बडीरिया जिला नागौर।
   1/5. बबली धर्मपत्नी विक्रमसिंह पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी हाथोज तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. विक्रम सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह,
3. गीता पत्नी लक्ष्मणसिंह,
4. कृष्ण कंवर पत्नी जीतसिंह,
5. जीतसिंह पि. मु. गुलाबसिह,
6. श्रीमती यशोदा देवी पत्नी कजोड़मल जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी श्यामपुरा कचौलिया तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. इन्ट्रीगल अरबन को ऑपरेटिव बैंक शाखा खातीपुरा झोटवाड़ा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री श्यामबाबू पारीक, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 24.01.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के खसरा नम्बर 89 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार गणपतसिंह पुत्र माधोसिंह

संभागीय आयुक्त
जयपुर

थे तथा गणपतसिंह के स्वर्गवास होने पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 73 गुलाबसिंह, लक्ष्मणसिंह पुत्रान उमरावसिंह 2/3 हनुमान सिंह पुत्र बन्ने सिंह के नाम दिनांक 05.02.1976 को गणपतसिंह नाऔलाद फौत होने आधार पर स्वीकार किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि कमल कंवर पुत्री गणपतसिंह पत्नी जवाहरसिंह को जानकारी दिनांक 18.06.2017 को विक्रमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से जानकारी की बात कहते हुये उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रथम अपील पेश की व अपील के साथ प्रार्थना धारा 96 सी.पी.सी. व धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहीं भी यह नही कहा है कि अपीलान्ट गणपतसिंह की पुत्री नही है बल्कि उनका कहना है कि पुत्री है इसकी घोषणा का व्यवहार न्यायालय को अधिकार है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. में आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2017 को प्रस्तुत कर प्रकरण में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 हनुमान सिंह का शपथ पत्र जो उन्होने अपीलान्ट को पुत्री मानकर व दिनांक 01.01. 1935 को जन्म होने के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया, जहॉ स्वीकृत तथ्य हो वहॉ पर भारतीय साक्ष्य, अधिनियम के तहत साबित करने की आवश्यकता नही है, यही नही उक्त तथ्य को कहीं भी रेस्पोडेन्ट ने अस्वीकार नही किया है तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 व 135 के तहत विरासत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकार निहित है एवं धारा 135 में जांच की बात कही है जबकि कोई जांच की नही गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को व्यवहार न्यायालय से कोई घोषणा की आवश्यकता नही है उसे तभी जाना पड़ेगा जब भू राजस्व अधिनियम में प्रावधान नही दिया गया हो, यही नही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी धारा 40 व भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट गणपतसिंह के वंशज नही है, न हो सकते है एवं नही किसी भी रूप में व किसी भी प्रकार से वारिस हो सकते। अपीलान्ट जो कि गणपतसिंह की एकमात्र पुत्री है व धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकारणी है, पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के पूर्वज गुलाबसिंह लक्ष्मणसिंह पुत्रान उमरावसिंह एवं हनुमान सिंह पुत्र बन्नेसिंह के सम्बन्ध में कही भी यह अंकित नही किया गया है कि यह गणपतसिंह पुत्र माधोसिंह के वारिस कैसे है क्योंकि उक्त न तो गणपतसिंह के पुत्रान है व माधोसिंह के भ्रातागण है यही नही स्वयं रेस्पोडेन्ट ने अपना कोई सजरा खानदान नही बताया है। रेस्पोडेन्ट व उनके पूर्वजों का गणपतसिंह व माधोसिंह के परिवार से वंशवृक्ष से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। ऐसी स्थिति में विरासत की कोई जांच हुई ही नही जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सरसरी रूप से ही निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है सर्वप्रथम आदेश पारित करने से पूर्व विरासत की जांच स्वयं पटवारी हल्का को करनी थी जो कहीं नही की गई, पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में न कोई सजरा खानदान बताया, न कोई बयानात ही लिऐ, न कोई जांच की गई, उप सरपंच को कोई अधिकार नामान्तरकरण स्वीकृत करने के नही है। रेस्पोडेन्ट का क्या सम्बन्ध गणपतसिंह से था कोई जांच की ही नही गई, धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट कैटेगरी 1 से 4 में कही नही आते है और वैसे भी जीवित पुत्री के होते हुए कैटेगरी 1 स 4 में किसी को भी अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में निर्णय दोनों तहत अदालत निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2019 को निरस्त फरमाया जावें तथा ग्राम श्यामपुरा कचौलिया स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 89 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल परिवर्तित खसरा नम्बर 89/1 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 89/2 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 89/3 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा के सम्बन्ध में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 05.02.1976 को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी के पक्ष में उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में उसके विरासतीय अधिकार के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया है कि ग्राम श्यामपुरा कचौलिया तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थिति खसरा नम्बर 89 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार गणपतसिंह पुत्र माधोंसिंह थे, गणपतसिंह का स्वर्गवास हो चुका है चूँकि गणपतसिह के कोई औलाद ही नही हुई। इसलिये उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 05.02.1976 को ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान की जांच कर गुलाबसिंह लक्ष्मणसिंह पुत्रान उमरावसिंह, हनुमान सिंह पुत्र बन्ने सिंह के नाम 1/3, 1/3 तस्दीक किया गया तब से रेस्पोडेन्ट्स वादग्रस्म भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि गणपतसिंह के कोई औलाद नही हुई। नामान्तरकरण संख्या 73 के विरूद्ध कमल कंवर ने भू–माफियाओं से साजकर स्वयं को गणपतसिंह की पुत्री बताते हुए उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष अपील दिनांक 29.06.2017 को लगभग 41 वर्ष बाद प्रस्तुत की जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी तथा कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपील को गुणावगुण पर सुनने से पूर्व मियाद के बिन्दु को पहले तय किया जाना चाहिये तत्पश्चात् ही न्यायालय गुणावगुण पर विचार करने हेतु सक्षम है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील 41 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी और प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम पर जानकारी होना दिनांक 18.06.2017 बताया है और यह कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कुछ आदमियों को लेकर वादग्रसत भूमि पर आया उक्त सभी आरोपों का रेस्पोउेनट ने विस्तृत जवाब

देते हुए जवाब धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीया का गणपतसिंह अथवा ग्राम श्यामपुरा कचौलिया से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। वह जाटों की गलौ कडेल पुष्कर जिला अजमेर की रहने वाली है और यदि वह गणपतसिंह की पुत्री है तो अपने पिता की मृत्यु के बाद निश्चिय ही ग्राम श्यामपुरा कचौलया आती होगी और गणपसिंह की विरासत अपने नाम करवाने की कार्यवाही भी की होगी लेकिन अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नही की गई है और वह कमल कंवर कभी ग्राम श्यामपुरा कचौलिया नही आयी और ना ही उसका वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा है, ना ही कभी कब्जा रहा है जब वह गणपतसिंह की पुत्री ही नही है तो उसकी विरासत की कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने अपीलार्थीया को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार भी नही होना अपने निर्णय में माना है क्योंकि अपीलार्थीया पुष्कर की रहने वाली है और राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजों से यह प्रमाणित नही है कि वह गणपतसिंह की पुत्री है या नही अपीलार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना जन्म प्रमाण पत्र वर्ष 2017 में ही बनवाकर प्रस्तुत किया है जिसमें उसके पिता का नाम गणपतसिंह है यह प्रमाण पत्र भी अपीलार्थीया ने स्वयं के शपथ पत्र के आधार पर वर्ष 2017 में बनवाया है जो अपील प्ररतुत करने की गरज से फर्ज साक्ष्य के रूप में रचित दस्तावेज है तथा इस जन्म प्रमाण पत्र पर यह स्पष्ट अंकित है कि मुताबिक शपथ पत्र कमल कंवर व तहसीलदार बस्सी की अनुज्ञा पर जारी किया गया है, जो भी प्रथम दृष्टया ही संदेहपूर्ण है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने भी अपने निर्णय में यह माना है कि कमल कंवर गणपतसिंह की पुत्री है या नही अभी तो यह प्रश्न अपीलार्थीया स्वयं को ही साबित करना है। यह निर्विवाद तथ्य है कि विवादग्रस्त उत्तराधिकार के नामान्तरकरण जैसी समरी कार्यवाही में निर्णय नही किया जा सकता। ऐसे प्रश्न तो नियमित वाद के द्वारा ही निर्णित किये जा सकते है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 01.02.1976 को पटवारी हल्का द्वारा भरकर प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 03.02.1976 तस्दीक किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थीया द्वारा असाधारण विलम्ब से करीब 43 वर्ष पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.07.2017 को अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपीलार्थीया अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त असाधारण विलम्ब के सम्बन्ध में ऐसा कोई सन्तोषजनक कारण प्रस्तुत करने में असफल रही है जिससे उक्त असाधारण विलम्ब को कण्डोन किया जा सके। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेयादिनांक 19.02.2019 विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।